



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2018/ज्येष्ठ 31, 1940

No. 423]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2018/JYAISTHA 31, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2018

**सा.का.नि. 579(अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में, उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**— (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।  
(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल:**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि:**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक।	18* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	लेवल-4 (रु.25500-81100)	अचयन पद।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष।) <b>टिप्पण</b> : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं होगी वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि, आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 'शून्य'।	(i) 50 प्रतिशत-प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) 40 प्रतिशत-सीधी भर्ती द्वारा ; और (iii) 10 प्रतिशत-प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

### (11)

**प्रोन्नति**: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (रु. 19900-63200) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पहले ही अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति/आमेलन** :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :-

(i) जो नियमित आधार पर मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों ; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (रु. 19900-63200) में मूल काडर या विभाग में जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

**टिप्पण-1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण-2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण-3** : प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<b>1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य (3) अवर सचिव, गृह मंत्रालय, जो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का कार्य देख रहा हो — सदस्य <b>2. समूह 'ग' विभागीय पुश्टिकरण समिति (पुश्ति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य (3) अवर सचिव, गृह मंत्रालय, जो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का कार्य देख रहा हो — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I-12014/42/2017-एन सी बी-II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2018

**G.S.R. 579(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, (Narcotics Control Bureau) Upper Division Clerk Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Upper Division Clerk) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk.	18*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group- 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Degree of a recognised University or equivalent.	Not applicable.	Two years for direct recruits. 'Nil' for promotees.	(i) Fifty per cent. by promotion failing which by deputation; (ii) forty per cent. by direct recruitment; and (iii) ten per cent. by deputation or absorption failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service</p> <p><b>Deputation or absorption—</b> Officer of the Central Government or the State Government,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years' regular service in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1 :</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2 :</b> Period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3 :</b> The maximum age limit for deputation shall not be exceeding fifty six years as on closing date of receipt of application.</p>	<p><b>1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b> (1) Deputy Director (Administration), Narcotics Control Bureau —Chairperson; (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau —Member; (3) Under Secretary in the Ministry of Home Affairs dealing with matters of Narcotics Control Bureau —Member.</p> <p><b>2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-</b> (1) Deputy Director (Administration), Narcotics Control Bureau —Chairperson; (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau —Member; (3) Under Secretary in the Ministry of Home Affairs dealing with matters of Narcotics Control Bureau—Member.</p>	Not applicable.

[F. No I-12014/42/2017-NCB-II]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.